भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *320

01 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आम लोगों के लिए सीजीएचएस जैसी सुविधा

***320. श्री रामजी लाल सुमनः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आम लोगों के इलाज के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) जैसी कोई योजना लाने पर विचार कर रही है, जिससे प्रत्येक भारतीय एक निश्चित राशि देकर इलाज करा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन लोगों को इलाज के लिए सीजीएचएस की सुविधा प्रदान की जा रही है; और

(घ) क्या निजी अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए दर तय करने के लिए कोई सरकारी तंत्र है, यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा कोई तंत्र लाने का विचार रखती है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

01 अप्रैल, 2025 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.320 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसमें भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले 40% हिस्से के अंतर्गत आने वाले 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। मार्च 2024 में, इस योजना के तहत पात्रता मानदंडों का विस्तार करके इसमें 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया है। हाल ही में, आयुष्मान वय वंदना कार्डों के माध्यम से 4.5 करोड़ परिवारों के, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के, 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, शामिल करते हुए योजना का विस्तार किया गया है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं नि:शुल्क हैं और यह योजना पूर्णत: सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

इसके अलावा, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। सीजीएचएस परामर्श, जांच और चिकित्सा-प्रक्रियाओं के लिए दरें तय करती है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पात्रता मानदंडों का विवरण अनुलग्नक में दर्शाया गया है।

भारत सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित नैदानिक प्रतिष्ठानों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पंजीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को लागू किया है ताकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित किए जा सकें। 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए आवश्यक शर्तों और मानदंडों का पालन करें। वर्तमान में, 19 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को अपनाया है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के वे नैदानिक प्रतिष्ठान, जिन्होंने इस अधिनियम को नहीं अपनाया है और लागू नहीं किया है, राज्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत और विनियमित हैं।

नैदानिक स्थापन (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम की धारा 52 में केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तदनुसार, नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियम, 2012 को अधिसूचित किया गया था। नियमावली के नियम 9 (ii) में कहा गया है कि नैदानिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण करने और उसे रखने के लिए, नैदानिक प्रतिष्ठान प्रत्येक प्रकार की चिकित्सा-प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित और जारी की गई दरों की सीमा के भीतर दरें लागू करेंगे।

अनुलग्नक

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत व्यक्तियों की पात्रता निम्नानुसार है:

1. केन्द्रीय सिविल प्राक्कलन से वेतन पाने वाले सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों (रेलवे और दिल्ली प्रशासन को छोड़कर)।
2. केन्द्र सरकार के पेंशनभोगी (रेलवे और सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों को छोड़कर) और उनके परिवार।
3. अंशदायी भविष्य निधि लाभ के साथ सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्र सरकार के पेंशनभोगी और उनके परिवार।
4. केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएँ।
5. दिल्ली पुलिस के कार्मिक और उनके परिवार, केवल दिल्ली में।
6. रेलवे बोर्ड के कर्मचारी।
7. रक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन पाने वाले रक्षा के असैन्य कर्मचारी (मुंबई को छोड़कर जहां यह योजना लागू है)।
8. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन प्राप्त करने वाला बच्चा, जिसमें ऐसे बच्चे के नाबालिग भाई-बहन भी शामिल हैं।
9. पूर्व राज्यपाल एवं उपराज्यपाल तथा उनके परिवार।
10. पूर्व उप-राष्ट्रपति एवं उनके परिवार।
11. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त अनुदान प्राप्त कर रहे या उसके द्वारा वित्तपोषित अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्त हैं।
12. प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान सांविधिक/स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी।
13. सैन्य अधिकारी, जब वे सिविल विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हों और केन्द्रीय सिविल प्राक्कलन से अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हों।
14. गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में स्थानांतरित सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सीजीएचएस अंशदान (6 महीने की अवधि के लिए) अग्रिम रूप से जमा करने पर अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए।
15. उत्तर-पूर्वी कैडर के आईएएस अधिकारियों के परिवार, जो उक्त आईएएस अधिकारी के उत्तर-पूर्वी कैडर में प्रत्यावर्तन के बाद भी दिल्ली में ही रहते हैं, बशर्ते कि वे दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी आवास में रहना जारी रखें और सीजीएचएस अंशदान अग्रिम रूप से जमा कर दें (एक से तीन वर्ष)। यही बात जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारियों के परिवारों पर भी लागू होती है।
16. केन्द्रीय सरकार के संसदीय सचिव और उनके परिवार।
17. संसद सदस्य एवं उनके परिवार।
18. पूर्व संसद सदस्य।
19. सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश।
20. केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्यभारित और औद्योगिक कर्मचारी, सेवा में शामिल होने की तारीख से तत्काल प्रभाव से।
21. दिल्ली और एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में तैनात केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी।

22. आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता और आयुध उपस्कर निर्माणी मुख्यालय, कानपुर के कर्मचारी।
23. अखिल भारतीय सेवा के पेंशनभोगी जो अपने विकल्प पर राज्य के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं।
24. स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के सदस्य जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
25. दिवंगत पूर्व संसद सदस्यों के परिवार के सदस्य।
26. आयुध कारखानों के पेंशनभोगी।
27. संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्य, भले ही वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के रूप में सेवारत न हों।
28. अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों में कार्यरत व्यक्ति जिन्हें सीजीएचएस योजना में शामिल होने की अनुमति है।
29. मान्यता प्राप्त पत्रकार (ओपीडी और आरएमएल अस्पताल के लिए) यदि वह भारतीय प्रेस परिषद से प्रदत्त एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें कहा गया हो कि वह प्रेस एसोसिएशन, नई दिल्ली का सदस्य है।
30. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के सेवानिवृत्त संभागीय लेखाकार तथा वे लेखाकार जिनके वेतन और पेंशन को पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
31. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलित हुए वे कर्मचारी जिन्होंने अपनी पेंशन का 100% अंशदान कर दिया था और जिन्होंने 15 वर्षों के बाद अपनी पेंशन का 1/3 भाग वापस मिल गया है।
32. केन्द्रीय सरकार के सांविधिक निकायों/स्वायत्त निकायों के कर्मचारी (जिनमें वे भी शामिल हैं जो शुरू में प्रतिनियुक्ति पर आए थे या मानद प्रतिनियुक्ति पर थे और फिर समाहित हो गए थे), जो केन्द्रीय सिविल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
33. सेवारत एवं सेवानिवृत्त रेलवे लेखा परीक्षा कर्मचारी।
34. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के सेवानिवृत्त मंडल लेखा अधिकारी और मंडल लेखाकार।
35. सीजीएचएस की सुविधा वाले शहरों में तैनात सीआईएसएफ कार्मिक (और उनके परिवार) और सीएपीएफ (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल) कार्मिक।
36. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के कर्मचारी, भारतीय भेषज (फार्माकोपिया) आयोग के कर्मचारी तथा उनके परिवार।
37. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (सीजीएचएस लाभार्थी) के परिवार और आश्रित सदस्य, जो कर्मचारी की पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप या लद्दाख क्षेत्र में तैनाती के बाद वापस सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में ही रहते हैं, तथा वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को वार्षिक सीजीएचएस अंशदान का अग्रिम भुगतान करने पर।
38. मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड केंद्रीय आयुध डिपो और एएफएमएसडी के रक्षा औद्योगिक कर्मचारी।

पात्रता मानदंड

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी की पात्रता निर्धारित करने के लिए केवल "निवास" (और मुख्यालय नहीं) ही मानदंड है। इस प्रकार, किसी भी अधिसूचित शहर में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य आदि इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

*****